रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248265
CG-DL-E-23082023-248265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3616] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945
No. 3616] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

का.आ. 3776(अ).—केंद्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान तथा खनिज (विकास और विनियमन), संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) की धारा 9(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा गठित एक 'प्राधिकार की श्रेणी' के रूप में 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट', जैसा कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, को, उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थातः-

(क) खान तथा खनिज (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को अंशदान) नियमावली, 2015 के अनुसार पट्टाधारकों द्वारा डीएमएफ को दिया गया अंशदान;

(ख) देरी से भुगतान के लिए पट्टाधारकों से प्राप्त ब्याज;

(ग) पट्टाधारक पर लगाया गया कोई भी अर्थदंड;

(घ) डीएमएफ के अंतर्गत उपलब्ध निधि पर ब्याज से प्राप्त आय;

(ङ) बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज; और

(च) सावधि जमा में निवेश किए गए अतिरिक्त निधि पर प्राप्त ब्याज

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट-

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगा।

3. निम्न उल्लिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यासों के संबंध में यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2026-27 से प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए लागू हुई मानी जाएगी।

अनुसूची

क्र. सं.	डीएमएफ न्यास का नाम	राज्य	पैन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंगुल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन	ओडिशा	एएएएलडी1844एम
2.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जयपुर	ओडिशा	एएडीटीडी2632ई
3.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, झारसुगुडा	ओडिशा	एएडीटीडी1294क्यू
4.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, क्योंझर	ओडिशा	एएएजीडी2339सी
5.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, कोरापूत	ओडिशा	एएपीएफडी8437के
6.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, सुंदरगढ़	ओडिशा	एएडीटीडी0841पी
7.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, संबलपुर	ओडिशा	एएडीटीडी5287एच
8.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, धेनकनाल	ओडिशा	एएडीटीडी5665आर
9.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, मयूरभंज	ओडिशा	एएजीटीएम8219एच
10.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, रायगड	ओडिशा	एएडीटीडी5522डी
11.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, नौपाडा	ओडिशा	एएडीटीडी6189जे
12.	डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, पुरी	ओडिशा	एएडीटीडी6294क्यू

[अधिसूचना सं. 66/2023/फा. सं. 300196/36/2017-आईटीए-I(भाग-I)]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-I

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।